भारतीय वमानपत्तन प्रा धकरण
निग मत सामाजिक दायित्व स मति
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक:13.02.2015

वषय: <u>सीएसआर परियोजना समीक्षा सह प्र शक्षण बैठक का कार्यवृत्त</u> ।

सीएसआर परियोजना समीक्षा सह प्र शक्षण दिनांक 11 फरवरी, 2015 को निग मत मुख्यालय, दिल्ली में सम्पन्न हुआ । उक्त बैठक में निम्न ल खत का र्मक उपस्थित थे:

1. वजाग, राजामुन्दरी व सफदरजंग हवाईअड्डों के वमानपत्तन निदेशकों के साथ उक्षे, पूक्षे, उपूक्षे, दक्षे एवं पक्षे के नोडल अ धकारियों ने भी इस बैठक में भाग लया।
2. निग मत मुख्यालय में 'कचरा प्रबंधन' पर गठित स मति के सभी सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लया।
3. म प्र (प्रचालन) और म प्र (वत्त)/ सीएसआर ने भी बैठक में भाग लया।
4. निग मत मुख्यालय के सीएसआर स मति सदस्य

बैठक का उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में शौचालयों के निर्माण और अन्य सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति पर आज तक की गई प्रगति का ब्यौरा लेना था।
बैठक सह प्र शक्षण में लया गया मुख्य बिंदु और पारिस्थितिक जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लए नीचे जोड़ा गया है:

I. सभी संदेहों के परस्पर स्पष्टीकरण के साथ-साथ सीएसआर पर प्र शक्षण वशेष रूप से शून्य अवधारणा कचरा प्रबंधन कया गया था।
II. यह स्पष्ट कया गया है क सीएसआर परियोजनाओं की शुरूआत के लए क्षेत्र / हवाई अड्डों के लए कोई व शष्ट बजट प्रावधान नहीं कया गया है। सभी प्रस्तावों पर निग मत मुख्यालय का अनुमोदन आवश्यक है। इसके लए एए एवं ईएस और वत्तीय मंजूरी निग मत मुख्यालय से ली जाएगी ।

इस मामले के स्पष्टीकरण के लए एक पत्र भा वप्रा वेबसाइट www.aai.aero पर **CSR** लंक के अंतर्गत उपलब्ध है। इसके बाद संबन्धित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों / वमानपत्तन निदेशकों द्वारा वत्तीय मंजूरी सहित कार्यान्वयन कया जाएगा।

कार्रवाई : क्षे का नि / व नि

III. जीएम (वत्त) / सीएसआर ने सूचत कया क कुछ स्टेशन द्वारा सीएसआर अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय पर अन्य लेखजा शीर्षों के तहत बुक कया जा रहा है। यह सभी क्षेत्रों और एपीडी द्वारा सुनिश्चित कया जाना चाहिए क सीएसआर अनुमोदन परियोजनाओं पर व्यय खाते के सही लेखा शीर्ष के तहत बुक कया जाए।

कार्रवाई : क्षे का नि / व नि

IV. नोडल अधकारियों ने क्षेत्रवार शौचालयों के निर्माण कार्य में प्राप्त प्रगति और प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर दर्ज प्रगति को प्रस्तुत कया ।

V. शौचालय परियोजनाओं को लागू करने के लए हवाईअड्डों / क्षेत्र द्वारा सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई है और स्पष्टीकरण प्राप्त कया गया ।

VI. वमानपत्तन निदेशक हवाई अड्डे के निदेशक, वजाग हवाई अड्डे ने दूरस्थता और अन्य मुद्दों के कारण शौचालयों के निर्माण के लए कठिनाइयों को व्यक्त कया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया क यह कार्य डपॉजिट माध्यम से कया जा सकता है।

कार्रवाई : उ म प्र (प्रचालन/सीएसआर)

VII. नोडल अधकारी एवं म प्र (इंजी), उ पू क्षेत्र ने बताया क गुवाहाटी और लीलबारी के लए उनके द्वारा दो बार निवदाएँ बुलाई गईं परंतु कोई निवदा प्राप्त नहीं हुई। इसलए, उन्होने भी अन्य पी एस यू/ राज्य सरकार द्वारा डपॉजिट के माध्यम से कार्य करने की सफ़ारिश की ।

कार्रवाई : उ म प्र (प्रचालन/सीएसआर)

VIII. शौचालयों की पहचान केवल मानव संसाधन वकास मंत्रलाय की वेबसाइट से की जाए।

कार्रवाई : स म प्र (मा सं/सीएसआर)

IX. डीआरडीओ द्वारा जैव शौचालय प्रौद्योगकी का आवष्कार और पेटेंट कया गया और अपशष्ट प्रबंधन के वभन्न तरीकों पर चर्चा की गई और इस वषय पर प्रस्तुतिकरण नोडल अधकारियों और बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों को नवीनतम अवधारणा पर स्पष्टता देने के लए बाहरी एजेंसयों द्वारा कया गया था।

X. म प्र (सी एस आर) द्वारा स्पष्ट कया गया क जहां कहीं भी वभन्न कारणों से स्थायी शौचालय नहीं बनाए जा सकते वहाँ पोर्टा केबिन टाइप शौचालयों के लए पहल की जा सकती है ।

कार्रवाई : उ म प्र (प्रचालन/सीएसआर)

XI. म प्र (इंजी- स वल)/ सी एस आर द्वारा स्पष्ट कया गया क डपॉजिट माध्यम से स्कूलों में शौचालयों का निर्माण केवल उ पू क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में ही कया जा सकता है। ऐसा कसी अन्य स्थान नहीं कया जाना है।

कार्रवाई : म प्र (सीएसआर)

XII. म प्र (इंजी- स वल)/ सी एस आर द्वारा सू चत कया गया क मानव संसाधन वकास मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार भा वप्रा पहले चरण में केवल 1011 शौचालयों का निर्माण कराएगा। भा वप्रा द्वारा पहले से ही कुछ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है जो क मानव संसाधन वकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। आगे, मानव संसाधन वकास मंत्रालय की वेबसाइट के अलावा नए शौचालयों के निर्माण से अभी बचा जाए।

कार्रवाई : क्षेकानि/ एपीडी

XIII. ठोस अप शष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मौजूद संस्थानों के प्रतिनि धयों ने सदस्यों को अप शष्ट जल उपचार सहित व भन्न तकनीकों /प्र क्रयाओं को भी प्रस्तुत कया था।

XIV. अप शष्ट प्रबंधन के लए भा वप्रा में व भन्न प्रथाओं को प्रतिभा गयों के समक्ष सीएसआर टीम द्वारा प्रस्तुत कया गया ।

XV. यह सू चत कया गया था क ठोस अप शष्ट प्रबंधन पहल को चरण 1 में सफदरजंग हवाई अड्डे और चेन्नई में लागू कया जाएगा। दूसरे चरण में गुवाहाटी, वडोदरा, उदयपुर, भुवनेश्वर, कोयंबटूर में।

कार्रवाई : उ म प्र (प्रचालन/सीएसआर)

XVI. नोडल अ धकारी, उ क्षे ने बताया क उदयपुर में सीएसआर परियोजना के लए एमओयू लक्ष्य नियत समय के भीतर हा सल कया जाएगा।

कार्रवाई : क्षे का नि (उ क्षे)/ नोडल अ धयाकरी, उ क्षे

XVII. सभी नोडल अ धकारी स क्रय हुए और सीएसआर परियोजनाओं को सही भावना में पूरा करने के लए प्रतिबद्धता दी।

XVIII. सभी नोडल अ धकारी व शष्ट स्कूल शौचालय प्रोफार्मा पर प्रगति रिपोर्ट निग मत मुख्यालय को अग्रे षत करेंगे। भा वप्रा वेबसाइट के सीएसआर लंक में प्रोफार्मा का नमूना भी उपलब्ध है।

कार्रवाई : सभी नोडल अ धकारी

म प्र (इंजी- स वल)/ सी एस आर द्वारा सभी नोडल अ धकारियों और अप शष्ट प्रबंधन स मति के सदस्यों से अनुरोध कया गया क सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ता क सी एस आर परियोजनाएं समय पर समाप्त हो सकें।

(संजीव जिंदल)

सं ए ए आई/ सी एच क्यू/ सी एस आर/ 65/ 2014-15 दिनांक : 13.02.2015

बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रे षत है:

i. क्षे का नि भा वप्रा, उ क्षे, पू क्षे, उ पू क्षे, द क्षे, प सखे, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई
ii. वमानपत्तन निदेशक, भा वप्रा, कोलकाता, चेन्नई
iii. सी एस आर नोडल अ धकारी, भा वप्रा, उ क्षे, पू क्षे, उ पू क्षे, द क्षे, प सखे, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, मुंबई
iv. वमानपत्तन निदेशक, भा वप्रा, सफदरजंग हवाई अड्डा, वजाग, कोयंबटूर, वडोदरा, गुवाहाटी, भुवनेशवर, उदयपुर

प्रति ल प सूचनार्थ:

i. अध्यक्ष के ओ एस डी
ii. सदस्य (योजना) के निजी स चव
iii. सदस्य (प्रचालन) के निजी स चव
iv. सदस्य (ए एन एस) के निजी स चव
v. सदस्य (वत्त) के निजी स चव
vi. सदस्य (एच आर) के निजी स चव
vii. कार्यपालक निदेशक (मा सं)/ नोडल अ धकारी, दूसरी टियर सी एस आर स मति
viii. कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), निग मत मुख्यालय
ix. म प्र (प्रचालन)/ म प्र (वत्त)/ सी एस आर